(सुधीरमित्तल,जे.)

सूर्यकांतऔरसुधीरमित्तलसेपहलेए **जे**ण्**जे**ण

रामप्यारीऔरअन्य.**याचिकाकर्ता**

बनाम

सुदिरमित्तल.1993 **काप्रतिवादीसी**.**डब्ल्यू**.**पी**.**सं**. 14001

1 अगस्त, 2017

भारतकासंविधान, 1950,**अनुच्छेद**-226,227-

पंजाबअधिभोगकिरायेदार(स्वामित्वअधिकारनिहित)अधिनियम, 1952.

पंजाबग्रामसामान्यभूमि(विनियमन)अधिनियम, 1961,**यू**/**एस**4 (3)**औरयू**/**एस** 7.

ष**शामलातदेह**ष **भूमिसेबेदखली**.**याचिकाकर्ताओंकोअधिनियम**ए 1952

केतहतविवादमेंभूमिपरस्वामित्वअधिकारप्राप्तकरनेकीघोषणाकीगई.**अधिनियम**ए

1961 **कीप्रतिवादीसंख्या** 5 **यू**ध्**एस** 7

द्वारायाचिकाकर्ताओंकोउक्तभूमिसेबेदखलकरनेकेलिएदायरआवेदन.

याचिकाकर्ताओंद्वारापसंदकिएगएबेदखलीकेआदेशकेखिलाफअपीलखारिज.

चुनौती.**आयोजित**ए **अधिनियम**ए 1953 **केप्रारंभकीतारीखसे** 12

सालसेअधिकसमयतक ष**शामलातदेह**ष

भूमिपरकब्जाकरनेवालेव्यक्तिकोबेदखलनहींकियाजासकताहै- ;याचिका अनुज्ञात

यहअभिनिर्धारितकियागयाकिउपरोक्तप्रावधानसेयहस्पष्टहैकिएकव्यक्तिजोपं

जाबग्रामसामान्यभूमि ;विनियमनद्ध अधिनियम, 1953केप्रारंभकीतारीखको 12

सालसेअधिकसमयसे श्शामलातदेह'भूमिपरखेतीकररहाहैए
उसेभीवहांसेबेदखलनहींकियाजासकताहै।ऐसेव्यक्तिकेसंबंधमें,
1961अधिनियमकीखंड 7
केतहतएकयाचिकाबिल्कुलभीविचारणीयनहींहोगी।वर्ष1941-42,1945-46,1954-
55और1958-59केलिएजमाबन्दीस्पष्टरूपसेकमसेकम1941-
42केबादसेविवादितभूमिपररामदयालपुत्रनानवा
;याचिकाकर्ताओंकेहितमेंपूर्ववर्ती)केकब्जेकोदर्शातीहै।इसमहत्वपूर्णसाक्ष्यपरनीचे
दिएगएकिसीभीन्यायालयद्वाराविचारनहींकियागयाहै।इसकेअलावा,इससाक्ष्यके
आलोकमें,क्या1961केअधिनियमकीखंड 7
केतहतएकयाचिकाबनाएरखनेयोग्यहोगीए इसपरभीविचारनहींकियागयाहै।

;पैरा6)

एल.एन.वर्मा,अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओंकेलिए।

विवेकसैनी,डीएजी,हरियाणा।

आर.एस.सिहोटा,बी.आर.राणाकेसाथवरिष्ठअधिवक्ता,अधिवक्ता

प्रतिवादीसंख्या4 केलिए।

सुधीरमित्तल,जे।

(1)याचिकाकर्ताओंनेसहायककलेक्टरप्रथमश्रेणी,गुड़गांवऔरकलेक्टर,गुड़गांवद्वाराक्रमशःपारित29.9.1992 (अनुलग्नकपी.2)और30.8.1993;अनुलग्नकपी.3)केआदेशोंकोचुनौतीदेतेहुएवर्तमानरिटयाचिकादायरकीहै।

(2)याचिकाकर्तानानवाकेबेटेरामदयालकेबेटेहैं।उन्होंने1990केसिविलमुकदमाNo.558केमाध्यमसेपंजाबऑक्यूपेंसीटेनेंट्स ;स्वामित्वअधिकारोंकानिहित)अधिनियम, 1952केतहतविवादितसंपत्तिपरअपनाअधिकारघोषितकरनेकीमांगकीथी,जैसाकिहरियाणापरलागूहोताहै ;जिसेइसकेबाद'1952अधिनियम'केरूपमेंसंदर्भितकियागयाहै)।उक्तवादकानिर्णय दिनांक11–6–1990केनिर्णयऔरडिक्रीकेमाध्यमसेएकतरफाकियागयाथाऔरयहघोषितकियागयाथाकियाचिकाकर्ताओंने1952केअधिनियमकेआधारपरविवादितभूमिपरस्वामित्वअधिकारप्राप्तकरलिएहैं।इसकेबादए प्रतिवादीसंख्या 5 नेपंजाबग्रामसामान्यभूमि ;विनियमन)अधिनियम, 1961;इसकेबाद'1961अधिनियम'केरूपमेंसंदर्भित)एकपक्षीय 7 केतहतयाचिकाकर्ताओंकोविवादितभूमिपरअनधिकृतकब्जेकेआधारपरबेदखलकरनेकेलिएएकआवेदनकोप्राथमिकतादी।प्रतिवादीसंख्या5 द्वारादायरआवेदनकोसहायककलेक्टरप्रथमश्रेणी,गुड़गांवद्वारादिनांक29.9.1992; अनुलग्नकपी.
2)केआदेशकेमाध्यमसेअनुमतिदीगईथी,जिसमेंकहागयाथाकियाचिकाकर्ताशामलातदेहकेअनधिकृतकब्जेमेंथेऔरइसप्रकार,उन्हेंबेदखलकरनेकाआदेशदियागयाथा। याचिकाकर्ताओंनेबेदखलीकेउपरोक्तआदेशकोचुनौतीदेतेहुएएकअपीलदायरकी,जिसेगुड़गांवकेजिलाकलेक्टरने30.8.1993केआदेशकेमाध्यमसेखारिजकरदियाथा।इसबीचए प्रतिवादीसंख्या 4

यानीग्रामपंचायतनेयाचिकाकर्ताओंकेपक्षमेंपारितसिविलकोर्टकेआदेशदिनांक11.6.1990कोचुनौतीदेतेहुए15.2.1991परसिविलमुकदमाNo.85दायरकियाथा।यहमुकदमा3.12.1996दिनांकिनिर्णयऔरडिक्रीद्वाराघोषितकियागयाथाऔर11.6.1990दिनांकिनिर्णयऔरडिक्रीकोअवैध,अमान्यघोषितकियागयाथा।

(3)याचिकाकर्ताओंकेविद्वानवकीलनेतर्कदियाहैकियाचिकाकर्ताओंकेहितमेंपूर्ववर्ती ,रामदयालपुत्रनानवा, 1961केअधिनियमकेप्रारंभसेठीकपहले12 वर्षोंसेअधिकसमयसेविवादग्रस्तभूमिकेकब्जेमेंथे,बिनाकिराएकेभुगतानकेयाभूमिराजस्वऔरउसपरदेयउपकरसेअधिकशुल्ककाभुगतानकिएबिना।वहअपनेतर्कोंकेसमर्थनमेंवर्षों1941-42,1945-46,1954-55और1958.59 केलिएजमाबन्दीपरभरोसाकरताहै।उन्होंनेआगेकहाकिनीचेकेराजस्वन्यायालयोंनेतत्कालमामलेकानिर्णयलेतेसमयइसराजस्वरिकॉर्डकासंदर्भनहींदेकरअधिकारक्षेत्रकीएकबड़ीगलतीकीहै।

(4)उक्ततर्ककायहकहतेहुएग्रामपंचायतकेविद्वानअधिवक्ताद्वाराखंडनकियागयाहैकिऐसाकोईतर्कनहींउठायागयाथा

(सुधीरमित्तल,जे.)

1961 केअधिनियमकीखंड 7 केतहतयाचिकापरनिर्णयलेतेसमयराजस्वन्यायालयोंकेसमक्ष।

(5)हमनेदौनो
पक्षोंकेविद्वानअधिवक्ताकोसुनाहैऔररिकॉर्डकोध्यानसेपढ़ाहै।1961केअधिनियम कीखंड4 (3)तैयारसंदर्भकेलिएनीचेपुनःप्रस्तुतकीगईहैः.

(1)उप.खंड(1) केखंड ;क) औरउप.
खंड(2)मेंनिहितकोईभीबातनिम्नलिखितकोप्रभावितनहींकरेगीयाकभीभीप्रभावित नहींमानीजाएगीः.

(i)उनव्यक्तियोंकेमौजूदाअधिकार,शीर्षकयाहित,जिन्हेंराजस्वअभिलेखोंमेंअधिभोगकिरायेदारोंकेरूपमेंदर्जनहींकियागयाहैए
उन्हेंप्रथाद्वारायाअन्यथासमानदर्जादियाजाताहै,जैसेकिढोलिदार,भोंडेदार,बुटीमार, बसिखोपोहुस,सौंजीदार,मुकरिरदार;

((ii)पंजाबग्रामसामान्यभूमि ;विनियमन)अधिनियम,
1953यापेप्सूग्रामसामान्यभूमि ;विनियमन) अधिनियम,
1954केप्रारंभकीतारीखकोशमिलातदेहकीखेतीकरनेवालेव्यक्तियोंकेअधिकारऔर ऐसेप्रारंभपरकिराएकेभुगतानकेबिनायाउसपरदेयभूमिराजस्वऔरउपकरसेअधिक शुल्ककेभुगतानकेबिनाबारहवर्षोंसेअधिकसमयतकइसतरहकेखेतीकेकब्जेमेंथे।

((ग)ऐसेगिरवीदारकेअधिकार,जिसेऐसीभूमि26 जनवरी,
1950सेपहलेकब्जेकेसाथगिरवीरखीगईहै।"

(6)उपरोक्तप्रावधानसेयहस्पष्टहैकिएकव्यक्तिजोपंजाबग्रामसामान्यभूमि ;विनियमन)अधिनियम, 1953केप्रारंभहोनेकीतारीखको 12
सालसेअधिकसमयसेशामलातदेहभूमिपरखेतीकररहाहै,उसेभीउससेबेदखलनहीं कियाजासकताहै।ऐसेव्यक्तिकेसंबंधमें, 1961केअधिनियमकीखंड 7

केतहतएकयाचिकाबिल्कुलभीविचारणीयनहींहोगी।वर्ष1941-42,1945-46,1954-55और1958-59केलिएजमाबन्दीयासेस्पष्टरूपसेपताचलताहैकिकमसेकम1941-42केबादसेविवादितभूमिपररामदयालपुत्रनानवा ;याचिकाकर्ताओंकेहितमेंपूर्ववर्ती)काकब्जाहै।इसमहत्वपूर्णसाक्ष्यपरनीचेदिएगएकिसीभीन्यायालयद्वाराविचारनहींकियागयाहै।इसकेअलावाए इससाक्ष्यकेआलोकमें,क्या1961केअधिनियमकीखंड 7 केतहतएकयाचिकाबनाएरखनेयोग्यहोगी,इसपरभीविचारनहींकियागयाहै।

(7)उपरोक्ततथ्यात्मकऔरकानूनीस्थितिकोध्यानमेंरखतेहुए,हमाराविचारहैकिवर्तमानरिटयाचिकादिनांक29.9.1992 मेंआक्षेपितआदेश

और30.8.1993 ;अनुलग्नकपी.2 औरपी.
3)टिकाऊनहींहैंऔरतदनुसारअलगरखेगएहैं।पक्षकारोंकोसुनवाईकापर्याप्तअवसरदेनेकेबादमामलेपरनएसिरेसेनिर्णयलेनेकेलिएमामलेकोएस.डी.एम..सह. सहायककलेक्टरप्रथमश्रेणी,फिरोजपुरजिरका,जिलागुड़गांवकीअदालतमेंभेजदियागयाहै।

(8)यदिपक्षकारोंकोइसतरहकीसलाहदीजातीहै,तोवेअपने. अपनेमामलोंकेसमर्थनमेंअतिरिक्तसाक्ष्यभीप्रस्तुतकरसकतेहैं।

(9)इसअभ्यासकोइसआदेशकीप्रमाणितप्रतिकीप्राप्तिकीतारीखसेछहमहीनेकीअवधिकेभीतरतेजीसेऔरअधिमानतःपूराकरनेकानिर्देशदियाजाताहै।

(10)रिटयाचिकाकीअनुमतिउपरोक्तशर्तोंमेंदीगईहै।

सुमतीजुंद

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयों का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

कमल शर्मा